यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड के माह अप्रैल 2012 से सितम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री सुनील दत्त, श्री मुकेश कुमार एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2018 से 03.11.2018 तक श्री एस॰ के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ है इकाई का क्रियाकलाप खण्ड के माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2018-19 (सितम्बर 2018 तक) में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन रु	व्यय रु	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	-	-	-	-	-
2013-14	2202 सामान्य शिक्षा 01,**101,04,00**	545.85	545.83	-	0.02
2014-15	2202 सामान्य शिक्षा 01,**101,04,00**	11.06	11.06	-	-
2015-16	2202 सामान्य शिक्षा 01,**101,04,00**	11.31	11.31	-	-
2016-17	2202 सामान्य शिक्षा 01,**101,04,00**	53.61	43.61	-	10.00
2017-18	2202 सामान्य शिक्षा 01,**101,04,00**	47.72	47.72	-	-
2018-19 (up to Sept 2018)	2202 सामान्य शिक्षा 01,**101,04,00**	19.16	16.82	-	2.34

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त रु		व्यय रु		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य
2015-16									
2016-17				-Nil-					
2017-18									
2018-18									
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		
4	2018-19		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। । विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

शिक्षा सचिव
↓
महानिदेशक

निदेशक मा.शि.
↓
अपर निदेशक मा.शि.
(कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल)
↓
जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
↓
विकासखण्ड----
खण्ड शिक्षा अधिकारी
↓
प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

निदेशक प्रा.शि.
↓
अपर निदेशक प्रा.शि.
(कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल)
↓
जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी
↓
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
↓
विकासखण्ड----
उप शिक्षा अधिकारी
↓
प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़ है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी डीडीहाट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह **मार्च 2016, मार्च 2017** एवं **फरवरी 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर-1: विस्तृत जांच हेतु चयनित माहों की जांच मे अतिथि शिक्षकों के वेतन मद मे रु 0.68 लाख का अन्तर पाया जाना तथा भुगतान वाउचर अनुपलब्ध रहना।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़ के विस्तृत जांच हेतु चयनित माह के रोकड़ बही की जांच मे निम्न कमियाँ पायी गयी :

मार्च 2016 वाउचर संख्या 59 रु 10,000/-, 56 रु 1,500/-, 57 रु 5,000/-, 55 रु 5,000/-, 63 रु 988/-, 61 रु 3,806/- तथा वाउचर संख्या 62 रु 2,538/- एवं माह मार्च 2017 वाउचर संख्या 148 रु 12,938/-, 147 रु 12,938/-, 149 रु 6,900/-, 150 रु 6,900/-, 151 रु 6,900/-, 152 रु 6,900/- तथा वाउचर संख्या 153 रु 15,000/- उपलब्ध नहीं थे।

उक्त उल्लेखित दोनों माहों के वाउचर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा रोकड़ बही एवं कोषागार समाधान विवरण मे अतिथि शिक्षकों का माह मार्च 2017 के वेतन मे रु 68,476/- (₹ 1388476 - ₹ 1320000 = ₹ 68476/-) का अंतर पाया गया। रोकड़ बही मे 44 अतिथि शिक्षकों का वेतन रु 13,88,476/- दर्शाया गया था जबकि कोषागार समाधान विवरण मे रु 13,20,000/- (रु 30,000 प्रति शिक्षक दो माहों ₹ 15000/- प्रतिमाह का वेतन) को भुगतान दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि अनुपलब्ध वाउचरों को खोज कर आगामी लेखापरीक्षा मे उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा अतिथि शिक्षकों के माह मार्च 2017 के वेतन के संबंध मे रु 68,476/- का रोकड़ बही एवं कोषागार समाधान विवरण मे अंतर के संबंध मे प्रकरण की जांच कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर से स्पष्ट था कि विस्तृत जांच हेतु चयनित माहों के उक्त वर्णित वाउचर अनुपलब्ध थे तथा रु 68,476/- अतिथि शिक्षकों के माह मार्च 2017 के वेतन मे अन्तर पाया गया है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- धनराशि रु 1.69 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना

वित्तीय नियमानुसार स्वीकृत/निर्गत एवं व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर निदेशालय, शासन एवं महालेखाकर को उपलब्ध करा दिया जाय जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त/व्यय किया गया हो।

कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट के बजट/ व्यय विवरण संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 2013-14 एवं 2014-15 मे क्रमशः रु 68,400/- एवं रु 91,200/- साइकिल योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों - प्रधानाचार्यों को छात्र / छात्राओं को वितरित करने हेतु निर्गत किया गया था। इसी प्रकार 2014-15 मे रु 9,000/- छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करने हेतु माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों - प्रधानाचार्यों को दिया गया।

लेखापरीक्षा मे उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं इससे संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारणों पर इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर अवगत कराया गया कि उक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालयों से प्राप्त होने पर लेखा परीक्षा कार्यालय को सूचित / प्रेषित किया जाएगा। लेखापरिक्षा की अवधि तक खंड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों- प्रधानाचार्यों से वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया जबकि धनराशि अवमुक्त एवं व्यय किए जाने के लगभग 4-5 वित्तीय वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। नियमानुसार वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर इसे मुख्य शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़, निदेशालय/शासन को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि रु 1.69 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर	भाग-II 'ब' प्रस्तर	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य-----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1。	श्री मान सिंह (प्रभारी)	खण्ड शिक्षा अधिकारी	05.08.2012 से 15.03.2016
2。	श्री हिमांशु श्रीवास्तव	खण्ड शिक्षा अधिकारी	16.03.2016 से 05.01.2017
3。	श्री हरक राम कोहली	खण्ड शिक्षा अधिकारी	06.01.2017 से 07.08.2017
4。	श्री एल。 डी。 कापड़ी	खण्ड शिक्षा अधिकारी	08.08.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी डीडीहाट, पिथौरागढ़, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.